भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3179
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

एनएफएस योजना के अंतर्गत लाभार्थी

3179. श्री भजन लाल जाटव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएस) योजना में लाभार्थियों की संख्या सीमा से अधिक होने के कारण दिनांक 18.05.2020 से नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी थी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार को किसी राज्य से लाभार्थियों की अधिकतम सीमा को 4.46 करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(घ) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है;
(ड.) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(च) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है कि कोई भी पात्र परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रह जाए; और
(छ) करौली, धौलपुर और भरतपुर में एनएफएसए के अंतर्गत ऐसे कितने आवेदन लंबित हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केन्द्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित होता है। इस अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए जाने वाले पात्र लाभार्थियों की संख्या राज्य के लिए निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया दिनांक 18.05.2020 से रोक दी गई थी। इसके बाद, पोर्टल को दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2022 तक और दिनांक 13.05.2022 से 28.05.2022 तक खोला गया था। पोर्टल को दिनांक 26.01.2025 से पुनः खोला गया है।

...2/-

(ग): राजस्थान राज्य सरकार से लाभार्थियों के कवरेज की 4.46 करोड़ की सीमा को 15% बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(घ) और (ड.): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) की धारा 9 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवरेज का प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और राज्य में कवर किए जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या की गणना, ऐसी जनगणना के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। एनएफएसए के तहत कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनसंख्या जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद ही संभव होगा। इसलिए, राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।

(च): अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि राज्य सरकारें उपधारा (1) के तहत तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए धारा 9 के तहत निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के अंदर पात्र परिवारों की सूची को अद्यतन करेंगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने के लिए एक परामर्षिका जारी की है। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस की देखरेख करते हैं ताकि फर्जी राशन कार्ड सूची से हटा दिए जाएं और पात्र लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, इस अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

(छ): करौली, धौलपुर एवं भरतपुर में एनएफएसए के अन्तर्गत लंबित आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

जिले का नाम	कुल लंबित आवेदन (दिनांक 07.03.2025 की स्थिति के अनुसार)
करौली	24,498
धौलपुर	55,568
भरतपुर	30,819

*****